नागेंद्र चंद्र वगैरह

बनाम

झारखंड राज्य और अन्य

नवंबर 28,2007

बी.एन. अग्रवाल, तरूण चटर्जी और वी.एस. सिरपुरकर, जे.जे.

सेवा कानून: बिहार पुलिस मैनुअलः आर. 663 (डी)-पुलिस कांस्टेबलों की सेवाओं की समाप्ति-इस आधार पर कि रिक्तियों का न तो समाचार पत्र में विज्ञापन दिया गया था और न ही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से, बल्कि जोनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया था- आयोजित: नियुक्तियां न केवल आर. 663 (डी) के उल्लंघन में थीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का भी उल्लंघन करती थीं-नियुक्तियों की सेवाओं को समाप्त करने में सक्षम प्राधिकारी काफी उचित था- हालांकि, उनके मामलों को भविष्य में नियुक्ति के लिए आयु सीमा में ढील देने पर विचार किया जा सकता है।

- भारत का संविधान, अन्च्छेद 14 और 16

बड़ी संख्या में पुलिस कांस्टेबलों को इस आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था कि रिक्तियों का विज्ञापन न तो समाचार पत्र में किया गया था और न ही रोजगार कार्यालय के माध्यम से, जैसा कि बिहार पुलिस नियमावली के नियम 663 (डी) द्वारा परिकल्पित किया गया था, लेकिन क्षेत्रीय महानिरीक्षक के कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया था। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अंततः इस संशोधन के साथ सक्षम प्राधिकारी के निर्णय को बरकरार रखा कि सेवा से बर्खास्तगी को समाप्ति के आदेश के रूप में माना जाना चाहिए। कांस्टेबलों द्वारा दायर तत्काल अपील में, निर्धारण के लिए जो प्रश्न उठा वह थाः क्या अपीलार्थियों की नियुक्तियां बिहार पुलिस नियमावली के नियम 663 (डी) का उल्लंघन कर रही थीं, वे अनियमित थीं या अवैध। अदालत ने अपील को खारिज कर दिया:

नागेंद्र चंद्र वगैरह बनाम राज्य

- 1.1 बिहार पुलिस नियमावली के नियम 663 (डी) के अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि नियम की आवश्यकता समाचार पत्रों में रिक्तियों को अधिसूचित करना और रोजगार विनिमय के माध्यम से विज्ञापन देना है, जो निर्विवाद रूप से वर्तमान मामले में नहीं किया गया है क्योंकि यहां रिक्तियों को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित नोटिस के माध्यम से अधिसूचित किया गया था।
- 1.2 समाचार पत्रों में, की गई नियुक्तियां न केवल बिहार पुलिस नियमावली के नियम 663 (घ) की उल्लंघन थीं, बिल्क संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का भी उल्लंघन करती थीं, जिसने अपीलार्थियों की नियुक्तियों को अवैध करार दिया था । इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी को उनकी सेवाओं को समाप्त करना काफी न्यायसंगत लगा और उच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा। (पैरा 91 614-सी, डी, ई)

सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम. उमादेवी (3) और अन्य, 120061.4 एससीसी 1; अिश्वनी कुमार और अन्य बनाम. बिहार राज्य और अन्य . य (1996) 7 एस सी सी 577; अिश्वनी कुमार और अन्य बनाम. बिहार राज्य और अन्य, [19971.2 एससीसी 1 और नेशनल फर्टिलाइजर्स लििमटेड और अन्य बनाम. सोमवीर सिंह, [20061.5 एससीसी 493, पर आधारित।

1.3 यदि कोई नियुक्ति आवश्यकता नियमों के उल्लंघन में की जाती है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा और अमान्य होने के कारण इसके लिए उत्तरदायी होगा-

तत्काल मामले में, क्योंकि रिक्तियों को 1.3 में विज्ञापित नहीं किया गया था तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी चौदह वर्ष की अविध के लिए सेवा में बने हुए हैं, उनके मामलों पर भविष्य में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है और उनके संबंध में आयु सीमा, यदि कोई हो, में ढील दी जा सकती है।

[पैरा 101 (614- ई, सिविल अपीलीय न्यायपालिका सिविल अपील सं. 2007 का 5460- 5465. उच्च न्यायालय सं. 30.32005 के निर्णय और आदेश से।

2004 2469, 2470, 2471, 3911, 4831 और 5697 अपीलार्थियों के लिए- परमजीत सिंह पटवालिया, रुद्रेश्वर सिंह, तपेश सिंह, क्मार रंजन, कौशिक पोद्दार, और संजय गोपाल जैन। कुमार झा उत्तरदाताओं के लिए- मिश्रा, रतन कुमार चौधरी, ध्व कुमार झा, रवि चंद्र प्रकाश, उपेंद्र मिश्रा और शंकर मिश्रा। मन् बी एन अग्रवाल, जे. 1. के दवारा न्यायालय का निर्णय दिया गया था ।

अनुमति स्वीकृत ।

- 2. अपीलार्थियों को कई अन्य लोगों के साथ वर्ष 1990 में क्षेत्रीय महानिरीक्षक, रांची के कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित नोटिस के माध्यम से अधिसूचित रिक्तियों के अनुसार कांस्टेबल के रूप में निय्क्त किया गया था। इसके बाद, जब यह पता चला कि रिक्तियों का न तो रोजगार कार्यालय के माध्यम से विज्ञापन दिया गया था और न ही समाचार पत्रों में, तो प्लिस महानिदेशक- सह- महानिरीक्षक ने निर्देश दिया कि अपीलार्थियों सहित ऐसे सभी व्यक्तियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाए और परिणामस्वरूप उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। क्छ सिपाहियों ने अपनी बर्खास्तगी के आदेशों को च्नौती देने वाली याचिकाएं दायर कीं, जिन्हें उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस आधार पर पारित किया था कि आदेश स्नवाई का अवसर दिए बिना पारित किए गए थे, जिसके खिलाफ झारखंड राज्य ने उच्च न्यायालय में लेटर पेटेंट अपील दायर की थी। इस बीच, अपीलकर्ताओं ने अलग-अलग रिट याचिकाएं और उनकी रिट याचिकाएं दायर करके खारिज करने के अपने आदेशों को भी चुनौती दी और पत्रों की पेटेंट अपीलों को एक डिवीजन बेंच द्वारा एक साथ स्ना गया और विवादित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने पत्रों की पेटेंट अपीलों की अन्मति दी, विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेशों को दरकिनार कर दिया और इस संशोधन के साथ अपीलाथियों की ओर से दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया कि सेवा से बर्खास्त करने के आदेशों को समाप्ति के आदेश के रूप में माना जाना चाहिए। इसलिए विशेष अवकाश द्वारा ये अपीलें
- 3. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि हालांकि रिक्तियों का विज्ञापन न तो रोजगार कार्यालय के माध्यम से किया गया था और न ही किसी समाचार पत्र में, जैसा कि बिहार पुलिस नियमावली के नियम 663 (डी) के तहत आवश्यक था, लेकिन जैसा

कि नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया था, यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त नियम का उल्लंघन किया गया था; इस तरह अपीलार्थियों की सेवाओं को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए था, खासकर जब वे चौदह साल की अविध तक सेवा में रहे हों। दूसरी ओर, झारखंड राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि नियुक्तियां, नियम 663 (डी) का उल्लंघन करने वाली थीं, इसलिए अपीलार्थियों की सेवाओं को समाप्त करना काफी उचित था।

नागेंद्र चंद्र आदि बनाम राज्य

बी एन अग्रवाल, जे.

अपीलार्थियों की सेवाएं।

- 4. सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य, बनाम उमादेवी (3) और अन्य, [2006] 4 एस. सी. सी. एल. के मामले में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने निम्नलिखित का उल्लंघन करते हुए की गई किसी भी नियुक्ति के लिए निम्नलिखित को निर्धारित कियाः पर्यावरणीय नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करेंगे [जिसे इसके बाद 'संविधान' के रूप में संदर्भित किया गया है] जो समान निरर्थकता प्रदान करते हैं, जैसे कि यदि नियुक्त व्यक्ति लंबे समय तक सेवा में बना रहता है, तो भी उसे सेवा में बने रहने की अनुमित नहीं दी जा सकती है, लेकिन यदि यह पाया गया कि नियुक्ति अवैध नहीं थी, लेकिन अनियमित थी, तो उस स्थिति में उसे सेवा में बने रहने की अनुमित दी जा सकती थी और उसी मामले में नियमित किया जा सकता है जो उसने विधिवत स्वीकृत पद पर दस साल या उससे अधिक समय तक काम
- 5. इस प्रकार, हमारे विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थियों की नियुक्तियां बिहार पुलिस नियमावली के नियम 663 (घ) का उल्लंघन करने के कारण अनियमित थीं या अवैध थीं।
- 6. बिहार पुलिस नियमावली का नियम 663 इस प्रकार है:-"भर्तियों का चयन-
- 19 और 27 वर्ष की आयु के बीच मजबूत, स्वस्थ, युवा पुरुष और जिन्होंने माध्यमिक (अर्थात मैट्रिक) परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें जहां तक संभव हो, भर्ती के रूप में चुना जाएगा। शारीरिक परीक्षणों का मानक वही होगा जो दिया गया है।

उप-निरीक्षकों के लिए परिशिष्ट 38, खंड 9 अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए, ऊपरी आयु-सीमा 32 वर्ष तक है और यदि मैट्रिक उपलब्ध नहीं हैं तो शैक्षिक योग्यता को मध्य उत्तीर्ण तक कम किया जा सकता है। ऊंचाई और छाती के माप के मानक नीचे दिए गए हैं। ये मिनीमम हैं और अधीक्षकों को उच्च मानक के पुरुषों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए:(i) सामान्य के लिए- उंचाई 163 सेंटीमीटर और छाती 80 सेंटीमीटर।

- (ii) अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए-ऊंचाई 158 सेंटीमीटर और जी छाती 78 सेंटीमीटर। नोट:- छाती को मापते हुए, मापने वाले टेप को समान रूप से लागू किया जाना चाहिए लेकिन कसकर नहीं, इसके ऊपरी किनारे कंधे के ब्लेड की निचली सीमा को छूते हुए, और इसके निचले किनारे के ठीक ऊपर से गुजरते हुए निप्पल, भुजाएँ किनारों से लटकती हैं। मानक न्यूनतम माप है, जिसमें छाती धीरे-धीरे विक्षेपित होती है। माप लेने से ठीक पहले उम्मीदवार को बिना सांस लिए और जल्दबाजी किए बिना तीस तक गिना जाएगा।
- (iii) गोरखाओं के लिए कोई शारीरिक मानक नहीं है, जो भारत के निवासी हैं और उपलब्ध हें सर्वोत्तम शरीर और हैं। प्रुष कम कम साक्षर विषयों सूचीबदध नेपाली को नहीं है। किया जा सकता (ख) भर्ती के समय अधीक्षक की उपस्थिति में आरक्षित निरीक्षक द्वारा भर्तियों को मापा जाएगा।
- (ग) चयन बोर्ड 27 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों या विशेष कारणों से माप के मानक से नीचे पुरुषों का चयन करने से वंचित नहीं है, लेकिन यह केवल अच्छे आधार पर ऐसा करेगा। भर्ती से पहले उप महानिरीक्षक ऊंचाई और छाती में 2.5 सेंटीमीटर की छूट दे सकते हैं।

[परिशिष्ट 2 का 9, भाग 2 देखें)

(घ) भर्ती वर्ष में दो बार इस तरह से की जाएगी कि भर्ती सत्र की शुरुआत से पहले कांस्टेबल प्रिशिक्षण विद्यालय में जाने के लिए तैयार हो। जिला मुख्यालय में प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अधीक्षक रिक्तियों की सटीक संख्या बताते हुए समाचार पत्रों में उम्मीदवारों के चयन की सूचना प्रकाशित करेगा और रोजगार विनिमय के माध्यम से भी विज्ञापन देगा। वह प्रयास करेगा कि चयन पूरा हो जाए और उसी दिन या अगले दिन उम्मीदवारों के सामने परिणाम रखे जाएं ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से रुकने के लिए मजबूर न किया जाए। चिकित्सा परीक्षण में संभावित अयोग्यता के लिए कुछ अतिरिक्त उम्मीदवारों को छोड़कर विज्ञापित संख्या से परे उम्मीदवारों की कोई प्रतीक्षा सूची नहीं रखी जानी है। उपर्युक्त नियम के केवल अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि नियम की आवश्यकता समाचार पत्रों में रिक्तियों को अधिसूचित करना और रोजगार विनिमय के माध्यम से इसका विज्ञापन

करना है, जो निर्विवाद रूप से वर्तमान मामले में नहीं किया गया है क्योंकि यहां रिक्तियों को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित सूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। 7. अश्विनी कुमार और अन्य बनाम. बिहार राज्य और अन्य, [1996] 7 एससीसी 577 के मामले में, डॉ नागेंद्र चंद्र वगैरह द्वारा बड़ी संख्या में नियुक्तियां की गईं।

नागेंद्र चंद्र आदि बनाम राज्य

[बी एन अग्रवाल, जे]

मिलक, उप निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, नोटिस बोर्ड पर रिक्तियों को अधिसूचित करके जब अवैधता को सरकार के संज्ञान में लाया गया, तो नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया जिसके कारण उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर करने की आवश्यकता थी, जिन्हें खारिज कर दिया गया था और जब मामला इस न्यायालय में लाया गया था, तो मामलों को 2-न्यायाधीश बेंच के समक्ष रखा गया था जिसमें के रामास्वामी का और बी एल हंसारिया, जे जे शामिल थे। दोनों विद्वान न्यायाधीशों के बीच मतभेद थे। के. रामास्वामी, जे. (जैसा कि तब उनके अधिपति थे) ने अभिनिर्धारित किया कि रिक्तियों को नोटिस बोर्ड पर रखा गया था, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का घोर उल्लंघन किया गया था। विद्वान जज ने पृष्ठ 594 पर पैराग्राफ 26 में इस प्रकार टिप्पणी की:- "यह सच है कि पटना स्थित तपेदिक केंद्र के नोटिस बोर्ड पर रिक्तियों को रखने के अलावा, खुले बाजार से आवेदन आमंत्रित करने वाला कोई विज्ञापन नहीं किया गया था और न ही रोजगार कार्यालय से नाम को बुलाया गया था.... मिलक द्वारा उन व्यक्तियों को नियुक्त करने या नियुक्त करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया, जिन्होंने रिक्तियों के कार्यालय के अनुसार नियुक्ति के लिए आवेदन किया थानोटिस बोर्ड पर उनके द्वारा मंच-प्रबंधित किया गया था और यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 (1) का घोर उल्लंघन है।

हंसारिया, जे. ने रामास्वामी, जे. द्वारा व्यक्त किए गए उपरोक्त दृष्टिकोण से असहमित जताई और इसिलए, मामले को 3- न्यायाधीशों की पीठ- अश्विनी कुमार और अन्य बनाम बिहार और अन्य राज्य के समक्ष रखा गया। [19971.2 एस सी सी I- जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा गया था और अन्य बातों के साथ- साथ, बिहार राज्य में प्रसारित होने वाले सभी समाचार पत्रों में नोटिस द्वारा निय्क्तियां करने के लिए निर्देश दिए गए थे।

8. राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड और अन्य v. सोमवीर सिंह [2006] 5 एससीसी 493, के मामले में यह कौंसिल भर्ती और पदोन्नित नियमों के नियम I. 5 के तहत भर्ती के मामले से निपट रही थी, जिसके लिए "विज्ञापन द्वारा अधिनियम भर्ती" की आवश्यकता थी। ये नियुक्तियाँ

विज्ञापन के बिना एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा की गई थीं जो संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर राज्य है। नियुक्त किए गए लोगों ने अपनी सेवाओं को नियमित करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष डब्ल्यूएचटी याचिका दायर की, जिसकी अनुमित दी गई और उनकी सेवाओं को नियमित किया गया उक्त आदेश को चुनौती देते हुए, जब मामला न्यायालय में लाया गया था, तो नियमितीकरण आदेशों को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि प्रारंभिक नियुक्तियां इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अमान्य थीं कि वे नियमों के उल्लंघन में थीं और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करती थीं। न्यायालय ने पृष्ठ 497 पर पैराग्राफ 13 में इस प्रकार टिप्पणी की:-" मान लीजिए, किसी समाचार पत्र में कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था और न ही रिक्तियों के अस्तित्व के संबंध में रोजगार कार्यालय को अधिसूचित किया गया था। अब यह सामान्य कानून है कि संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर "राज्य" संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में उल्लिखित संवैधानिक आवश्यकताओं का पालन करने के लिए बाध्य है। जब भर्ती नियम बनाए जाते हैं, तो नियोक्ता उसी का पालन करने के लिए बाध्य होगा। इस तरह के नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई भी निय्नित उन्हें अमान्य कर देगी... "

- 9. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारे पास यह अभिनिर्धारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि यदि नियुक्ति नियमों के उल्लंघन में कोई नियुक्ति की जाती है, तो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करेगा और शून्य होने के कारण रद्द किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, चूंकि रिक्तियों का समाचार पत्रों में विज्ञापन नहीं किया गया था, इसलिए की गई नियुक्तियां न केवल बिहार पुलिस नियमावली के नियम 663 (डी) के उल्लंघन में थीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का भी उल्लंघन करती थीं, जिसने अपीलार्थियों की नियुक्तियों को अवैध करार दिया था; इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी उनकी सेवाओं को समाप्त करने में काफी उचित था और उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा, इसे बरकरार रखा।
- 10. परिणामस्वरूप, अपील विफल हो जाती हैं और तदनुसार उन्हें खारिज कर दिया जाता है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी चौदह वर्ष की अविध के लिए सेवा में बने हुए हैं। तथापि हम यह अवलोकन कर सकते हैं कि उनके मामलों पर भविष्य में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है और उनके संबंध में आयु प्रतिबंध, यदि कोई हो, में ढील दी

जा सकती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद (सुधीर), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।